

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
बुधवार, 06 जुलाई, 2005/आषाढ़ 15, 1927(शक)

सं. 97

विषय : सदस्यों की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित,  
एस.एच.ओ., संसद मार्ग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. जगदीश मुखी, डॉ. हर्षवर्धन, श्री रमेश बिधुड़ी और श्री रविन्द्र नाथ बंसल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक 06.07.2005 को 12.50 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी दिन एवं उसी स्थान से 13.00 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Wednesday 6<sup>th</sup> July, 2005/15 Ashadha 1927 (Saka)

No. 97

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from S.H.O., Parliament Street, New Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Jagdish Mukhi, Dr. Harshvardhan, Shri Ramesh Bidhuri and Shri Ravinder Nath Bansal, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at P.S. Parliament Street, New Delhi at 1250 Hrs. on 6.7.2005.

They were released at 1300 Hrs. from the same place and same date."

SIDDHARATH RAO  
SECRETARY